मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) [1]

क. मत्स्यपालन विभाग [2]

भाग I

निम्नलिखित विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. ऐसे उद्योग, जिन पर संघ का नियंत्रण संसद द्वारा विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया गया है, जहां तक उनका संबंध मत्स्य आहार और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस सीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में मत्स्यपालन विभाग के कार्य मांग तैयार करने और लक्ष्य निर्धारित करने से आगे नहीं जाते हैं।

2. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से परे) तथा इससे संबंधित गतिविधियों का संवर्धन और विकास, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल हैं।

3. मछुआरों एवं अन्य मत्स्यन में संलगन के कल्याण तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना।

4. मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग।

5. मात्स्यिकी सांख्यिकी।

6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य स्टॉक की हानि से संबंधित मामले।

7. मछली स्टॉक आयात, संगरोध और प्रमाणीकरण का विनियमन।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।

8क. समुद्री शैवाल की खेती और उससे संबंधित गतिविधियों, औद्योगिक अनुप्रयोगों, विपणन, एक्जोटिक वस्तुओं सहित आयात, संगरोध आदि को बढ़ावा देना। 3

भाग II

निम्नलिखित विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल कानून बनाने के संबंध में):

9. मछलियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संचारी रोगों या पीड़कों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की रोकथाम।

10. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मात्स्यिकी विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपरोक्त भाग 1 और 2 में उल्लिखित विषय, जहां तक वे इन क्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं, तथा इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में आते हैं:

11. मत्स्य स्टॉक का संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार तथा उनमें होने वाली बीमारियों की रोकथाम, पशु चिकित्सा

प्रशिक्षण एवं अभ्यास।

12. मत्स्य स्टॉक का बीमा।

---

1 दिनांक 14.06.2019 की संशोधन श्रृंखला संख्या 350 द्वारा सम्मिलित किया गया।

2 दिनांक 05.02.2019 की विगत संशोधन श्रृंखला संख्या 348 द्वारा एमओएएफडब्लू के अंतर्गत एक विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया।

3 दिनांक 03.04.2024 की संशोधन श्रृंखला संख्या 376 द्वारा सम्मिलित किया गया।